

RTE

30/10/18

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर

क्रमांक :- जिशिअ/प्राशि/अज/मान्यता/2014-15 796

दिनांक 28/5/14

द वाई ग्रेन्ट एकेडमी प्राईमरी, केकडी

अजमेर

(माध्यम अंग्रेजी)

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 7.4.2014 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ परचातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं, द वाई ग्रेन्ट एकेडमी प्राईमरी केकडी, अजमेर (विद्यालय का नाम पते सहित) को दिनांक 01.07.2014 से दिनांक 30.6.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्वधीन है:-

- 1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-9 के परचातवर्ती मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-गड़स के कमजोर वर्गों और अतामपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4 पैसा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5 सोसायटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- 6 विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक या अधिक के आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
- 7 विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :-
 - (I) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी प्रकार में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (II) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।

स्वाकी विवेकानन्द राजकीय मैड्रल स्कूल
ब्लॉक-शाहपुरा (पीलवाड़ा)

PRINCIPAL
ST. PAUL'S SCHOOL
KUCHAMAN CITY (Nagaur)
Affiliation No. : 1730415

(yash):- deoe.ajm@gmail.com

For Comfort Educational Society
President/Treasurer/Secretary

Page 12
PRINCIPAL
The Vibrant Academy Kekri